

**दिनांक 01.05.2025 तक राजविअ में लंबित न्यायालयी मामलों को दर्शाता हुआ विवरण:**

**1. उच्च न्यायालय**

| क्र. सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                                    | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय       | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.                            | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे                                                                                                                                                                                               | हलफना मा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | डब्ल्यू पी सं. 17560/2005 श्री राम राज द्वारा दायर किया गया         | तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद)  | श्री बोम्मिनेनी नारायण रेड्डी (स.सो. जनरल) (98480399 51) | 08.08.2005         | ई.ई पद पर पदोन्नति के लिए।                                                                                                                                                                                      | दायर                          | पिटीशनर की मामले में पैरवी करने की रूचि नहीं है। तथापि, मामला अभी लंबित है। अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 2        | डब्ल्यू पी सं. 3341/08 ओ.ए.सं.239/2 008 के खिलाफ राजविअ द्वारा दायर | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री नरेश कौशिक कांउसल                                   | 29.04.2008         | राजविअ ने श्री टी.एम. संपत, प्रशा. अधिकारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कैट के निर्णय को चुनौती दी                                                                                                      | राजविअ पिटीशनर है।            | सुनवाई की पिछली तिथि 21.12.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है।                                             |
| 3        | डब्ल्यू पी सं. 9083/09 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया।       | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल                                | 06.04.2009         | श्री टी.एम संपत ने श्री दयानंद उपनिदेशक (प्रशासन) की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आदेश तथा उनका उ.नि.(प्रशा.) पर नियुक्ति के लिए डीपीसी समीक्षा बैठक पर ओदश दिनांक 07.04.2008 सं. 220/2007 को चुनौती दी है। | दायर                          | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है।                                             |
| 4        | डब्ल्यू पी सं. 11709/09 श्री एन.डी. शुक्ला ने दायर किया।            | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) | श्री राधे लाल गुप्ता एसजी                                | 11.06.2009         | ए.सी.पी योजना के अंतर्गत लाभ देने के संबंध में                                                                                                                                                                  | दायर                          | अगली तारीख अभी तय नहीं है।                                                                             |
| 5        | डब्ल्यू पी(सी) सं. 8604/10 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया।   | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री आर.वी. सिन्हा, कांउसल                               | 20.12.2010         | दिनांक 23.12.2004 को उ.नि.(प्रशा.) के पद पर चयन तथा उ.नि.(प्रशा.) के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा                                                                           | दायर                          | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है।                                             |
| 6        | डब्ल्यू पी सं. 366/2017 राजविअ द्वारा दायर किया                     | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल                                | 06.01.2017         | राजविअ ने श्री टी.एम. सम्पत प्रशा. अधिकारी के मामले में दिनांक 27.06.2008                                                                                                                                       | राजविअ पिटीशनर है।            | सुनवाई की अगली तिथि 11.08.2025 है।                                                                     |

|    |                                                                                                              |                                    |                           |            |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | गया।                                                                                                         |                                    |                           |            | को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए दिनांक 04.08.2016 को कैट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चुनौती दी है।                                                                   |                    |                                                                                                                              |
| 7  | सिविल अपील सं. 74/2016 मैसर्स महाश्वेताराय चौधरी एंड कम्पनी द्वारा दायर                                      | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) | श्री जिनेंद्र कुमार जैन   | 15.12.2015 | ओवर बर्डन ड्रिलिंग के लिए ₹11,60,000/- के लंबित भुगतान के समायोजन के लिए।                                                                                                                              | दायर               | प्लीडिंग पूरी हो गई है। अंतिम बहस करना बाकी है। <b>अगली तारीख अभी तय नहीं है।</b>                                            |
| 8  | डब्ल्यू पी सं. 1636/2018 राजविअ द्वारा दायर किया गया।                                                        | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री नरेश कौशिक, अधिवक्ता | 02.01.2018 | राजविअ ने श्री एस.एस. इंग्लेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में कैट, नई दिल्ली के दिनांक 27.11.2017 के ओ.ए.सं. 773/2017 के आदेश को चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है। | <b>सुनवाई की अगली तिथि 12.09.2025 है।</b>                                                                                    |
| 9  | डब्ल्यू पी (एम डी) सं. 17307/2018 श्री के.के. रमेश द्वारा दायर किया गया।                                     | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)     | श्री के. बालासुंदरम       | 12.07.2018 | तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर जल भंडारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए (राजविअ से संबंधित नहीं है।)                                                                                                      | दायर               | यू.एस.आर.सं. 66873 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफीडेविट दायर की गई है। <b>अगली तारीख अभी तय नहीं है।</b> |
| 10 | डब्ल्यू पी (एम डी) सं. 21170/2017 श्री एम मुनियासामी फाउंडर सह प्रबंधन ट्रस्टी, तमिलनाडु लीगल सेप्टी मूवमेंट | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)     | श्री के. बालासुंदरम       | 14.03.2019 | किसानों को बचाने के लिए कावेरी, पलारू, वैगई, थमीरा परानी-बैप्पारू और कुंदारू जैसी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए                                                                                      | दायर               | यूएसआरसं. 66874 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफीडेविट दायर की गई है। <b>अगली तारीख तय नहीं की गई है।</b>  |
| 11 | डब्ल्यू पी सं. 4000/2019 श्री एन. गणेशकरन द्वारा दायर किया गया।                                              | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)     | श्री के. बालासुंदरम       | 14.03.2019 | देरापराई बांध का निर्माण (राजविअ के दायरे में नहीं है)                                                                                                                                                 | दायर               | यूएसआरसं. 67088 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफीडेविट दायर की गई है। <b>अगली तारीख अभी तय नहीं है।</b>    |
| 12 | डब्ल्यू पी सं. 4351/2019                                                                                     | तमिलनाडु उच्च न्यायालय             | श्री के. बालासुंदरम       | 14.03.2019 | मेयानुर बैराज से नहर द्वारा कावेरी अग्नियायारू तथा दक्षिणी वेल्लार                                                                                                                                     | दायर               | यूएसआर सं. 66879/2019                                                                                                        |

|    |                                                                                       |                                                           |                                   |            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | श्री ए.<br>मुरूगसन<br>सचिव,<br>परिवारियल<br>सुगरकेन,<br>फार्मर्स<br>एशोसिएशन          | (मदुरई)                                                   |                                   |            | नदियों को जोड़ना।<br>राजविअ गतिविधियों से<br>संबंधित                                                                   |              | दिनांक 26.08.2019<br>के द्वारा न्यायालय में<br>काउंटर एफिडेविट<br>दायर की गई है।<br><b>अगली तारीख तय<br/>नहीं की गई है।</b>                             |
| 13 | डब्ल्यू पी सं.<br>2864/2017<br>श्री कुमारी महा<br>सभा द्वारा दायर<br>किया गया।        | तमिलनाडु<br>उच्च<br>न्यायालय<br>(मदुरई)                   | श्री के.<br>बालासुंदरम            | 14.03.2019 | कन्याकुमारी जिले में<br>बांधों एवं तालाबों पर<br>ड्रेज डिस्लिट एवं<br>रखरखाव करना<br>(राजविअ के दायरे में<br>नहीं है)  | दायर         | यूएसआर सं.<br>66983/2019<br>दिनांक 27.08.2019<br>के द्वारा न्यायालय में<br>काउंटर एफिडेविट<br>दायर की गई है।<br><b>अगली तारीख तय<br/>नहीं की गई है।</b> |
| 14 | डब्ल्यू.पी.सं.<br>19102/2019<br>श्री विश्वजीत<br>रातोनिया द्वारा<br>दायर किया<br>गया। | मध्य प्रदेश<br>उच्च<br>न्यायालय<br>की<br>ग्वालियर<br>बेंच | श्री फैजल<br>अली शाह,<br>अधिवक्ता | 10.09.2019 | स्वर्ण रेखा नदी की<br>वाटर हार्वेस्टिंग                                                                                | दायर         | दिनांक 06.03.2020<br>के द्वारा न्यायालय में काउं<br>टर एफिडेविट दायर की ग<br>ई है। संभावित तिथि<br><b>09.05.2025</b>                                    |
| 15 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9150/2025<br>कैलाश चंद्र<br>सामल द्वारा<br>दायर किया<br>गया।  | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने<br>दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |
| 16 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9157/2025 यू<br>के रथ द्वारा<br>दायर किया<br>गया।             | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने<br>दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |
| 17 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9325/2025 जे<br>के मुदली द्वारा<br>दायर किया<br>गया।          | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने<br>दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |
| 18 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9328/2025<br>एम एम दल<br>द्वारा दायर<br>किया गया।             | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने<br>दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |
| 19 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9332/2025<br>रमानाथ पन्डा<br>द्वारा दायर<br>किया गया।         | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने<br>दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |
| 20 | आरवीडब्ल्यूपी<br>ईटी<br>9503/2025<br>आर सी वेहुरा<br>द्वारा दायर                      | कटक उच्च<br>न्यायालय                                      | श्री पी.के.<br>परही,<br>डीएसजीआई  | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय,<br>कटक द्वारा पारित<br>दिनांक 13.01.2025<br>के निर्णय के विरुद्ध<br>समीक्षा याचिकाकर्ता ने            | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली<br>तारीख तय नहीं की<br>गई है।                                                                                                            |

|    |                                                             |                   |                            |            |                                                                                                         |              |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|    | किया गया।                                                   |                   |                            |            | दायर की                                                                                                 |              |                                        |
| 21 | आरवीडब्ल्यूपी ईटी 9554/2025 ए पी पतरा द्वारा दायर किया गया। | कटक उच्च न्यायालय | श्री पी.के. परही, डीएसजीआई | 04.03.2025 | माननीय न्यायालय, कटक द्वारा पारित दिनांक 13.01.2025 के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिकाकर्ता ने दायर की | प्रक्रियामें | सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है। |

### 3. केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट)

| क्र.सं | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                                                   | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.         | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे                                                                                                        | हलफना मा दाखिल करने की स्थिति   | वर्तमान स्थिति                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1      | ओ.ए. सं. 1122/2017 श्री रमेश चंद्र, अ.श्रे.लि. द्वारा दायर किया गया।               | कैट, दिल्ली                  | श्री वाई. पी. सिंह, अधिवक्ता          | 28.03.2017         | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया।                      | दायर                            | सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2025।    |
| 2      | ओ.ए. सं. 3703/2018 श्री मती संगीता मेहरोत्रा, आशु लिपिक-II द्वारा दायर किया गया।   | कैट, दिल्ली                  | श्री किजेंद्र सिंह, अधिवक्ता          | 28.09.2018         | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया।                      | दायर                            | सुनवाई की अगली तिथि 16.05.2025     |
| 3      | ओ.ए. सं. 01/2025 श्री नरेश कुमार द्वारा दायर किया गया                              | कैट, जोधपुर                  | श्री Roopal Patel, अधिवक्ता एसीजीएससी | 02.01.2025         | राजविअ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनकी सेवा बहाल करने के संबंध में                                                      | जोधपुर से स्थानांतरण मामला, कैट | सुनवाई की पिछली तिथि 16.06.2025    |
| 4      | ओ.ए. सं. 2038/2022                                                                 | कैट, दिल्ली                  | श्री अदिश जैन                         | 05.08.2022         | डायरेक्टर(तक.) के पद पर पदोन्नति के लिए                                                                                  | दायर                            | सुनवाई की अगली तिथि 29.05.2025     |
| 5      | ओ.ए. सं. 3734 /2023                                                                | कैट, दिल्ली                  | श्री स. न. वर्मा                      | 20.11.2023         | PRO के पद पर नियुक्ति हेतु                                                                                               | दायर                            | सुनवाई की अगली तिथि 21.05.2025 है। |
| 6      | ओ.ए. नंबर 732/2024 श्री सध्यारानी महापात्रा, डी मैन ग्रेड- II द्वारा दायर किया गया | कैट कटक                      | श्री जे.के.नायक                       | 11.12.2024         | सीडब्ल्यूसी स्केल के अनुसार वेतनमान को 4500-125-7000/- रुपये के स्थान पर 5000-150-8000/- रुपये संशोधित करने के संबंध में | प्रक्रिया में है                | अगली तारीख तय नहीं की गई है।       |
| 7      | ओपीएस कुशवाह द्वारा दायर ओ.ए. संख्या 1747/2015                                     | कैट दिल्ली                   | बीएल वांचू                            | 12.03.2025         | सीडब्ल्यूसी स्केल के अनुसार वेतनमान संशोधित करने के संबंध में                                                            | प्रक्रियाधीन                    | सुनवाई की अगली तारीख 18.08.2025    |

|   |                                                      |         |                 |            |                                                                                           |              |                                 |
|---|------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|   | में एमए संख्या 211/2025                              |         |                 |            |                                                                                           |              |                                 |
| 8 | जी के बेहरा ड्राफ्ट्समैन द्वारा दायर ओ ए नं.119/2025 | कैट कटक | श्री जे.के.नायक | 03.02.2025 | ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II के वेतनमान को सीडब्ल्यूसी स्केल के अनुसार संशोधित करने के संबंध में | प्रक्रियाधीन | सुनवाई की अगली तारीख 26.06.2025 |

## जिला न्यायालय

| क्र.सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                                                                                                                      | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय              | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं. | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे                                                                                                                                                                   | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | आईए संख्या 200/2021, ओ.एस. संख्या 623/2021 में श्री कंचेरता वेंकटेश्वर राव, पुत्र वेंकट रेड्डी-बनाम श्रीमती भुक्का कमला, पत्नी स्वर्गीय भुक्का कोट्या | चतुर्थ एडिशनल जूनियर सिविल जज, राजमुंदरी। | --                            | 03.09.2021         | स्वर्गीय भुक्का कोट्या-पूर्व यूडीसी, आईएसडी, एनडब्ल्यूडीए, राजमुंदरी के सेवानिवृत्ति लाभों से 7,64,539.00 रुपये की अदालती कुर्की, ऋण राशि (ब्याज सहित मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए। | दायर                         | अगली सुनवाई की तारीख 12.03.2025तय की गई। |

## सार

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम                  | मामलों की संख्या |
|---------|----------------------------------|------------------|
| 1.      | माननीय उच्च न्यायालय             | 21               |
| 2.      | माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण | 08               |
| 3.      | जिला न्यायालय                    | 01               |
|         | <b>कुल</b>                       | <b>30</b>        |